# राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः विप0–1/446(2)ए0पी0एम0सी0एक्ट/2020–795 दिनांकः २५ मई, 2020

## आदेश

उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 17(3)(ग) के क्रम में मण्डी परिषद व मण्डी समितियों द्वारा संचालित परिसरों में गैर अधिसूचित जिन्सों के व्यापार होने की दशा में यूजर चार्जेज (प्रयोक्ता प्रभार) लगाये जाने विषयक निर्गत शासनादेश संख्या–482/80–1–2020 दिनॉक 12 मई, 2020 के प्रस्तर 03 एवं 04 के अनुसार यूजर चार्जेज तय किये जाने एवं वसूल किये जाने की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 13.05.2020 को की गयी संस्तुतियों एवं सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. प्रदेश में कृषि विपणन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषकों एवं व्यापारियों को मण्डी परिसर में गैर निर्दिष्ट कृषि जिन्सों के भी व्यापार की स्वतंतत्रता प्रदान की जा रही है। गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क अथवा विकास सेस देय नहीं होगा। कृषकों/व्यापारियों को ऐसे गैर निर्दिष्ट कृषि जिन्सों के व्यापार को सुगमतापूर्वक करने हेतु अन्य सुविधाएं प्रदत्त करने के दृष्टिगत ऐसी जिन्सों के मण्डी परिसर में व्यापार पर संबंधित क्रेता/व्यापारी से उनके व्यापार के वास्तवित मूल्य का मात्र 01 प्रतिशत **विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के व्यापार हेतु यूजर चार्जेज (प्रयोक्ता प्रभार)** के रूप में लिया जायेगा।

2. गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद के लिए प्रवेश पर्ची **(प्रारूप की प्रति संलग्नक–1)** चार प्रतियों में हागी। इसकी एक प्रति मण्डी के प्रवेश द्वार पर रक्षित होगी, शेष 03 प्रतियां किसान/उत्पादक को दी जायेगी। संबंधित उत्पादक एक प्रति अपने पास रखकर शेष दो प्रतियां क्रेता/व्यापारी को उपलब्ध करा देगा। जिसमें से एक प्रति क्रेता/व्यापारी द्वारा मण्डी समिति में दैनिक रूप से जमा करायी जाएगी।

3. क्रेता/व्यापारी द्वारा गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के निर्गमन हेतु सौदा पर्ची/निर्गमन पर्ची **(प्रारूप की प्रति संलग्नक–2)** उपयोग में लायी जायेगी। सौदा पर्ची/निर्गमन पर्ची भी चार प्रतियों में होगी। व्यापारी द्वारा एक प्रति अपने उपयोगार्थ रखते हुए दूसरी प्रति मण्डी समिति को उपलब्ध करायी जाएगी तथा शेष दो प्रतियां निर्गमनकर्ता को दी जाएगी जिसमें से एक प्रति उत्पाद निर्गमन के समय निर्गमनकर्ता द्वारा मण्डी गेट पर जमा करायी जाएगी।

4. मण्डी समिति द्वारा गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद का अलग आवक/निर्गमन रजिस्टर बनाया जायेगा तथा समिति द्वारा बनाये गये रजिस्टर में गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद की आवक/जावक का विवरण अंकित किया जायेगा।

5. मण्डी समिति द्वारा 'यूजर चार्जेज' से प्राप्त आय को अन्य आय में प्राप्ति का उल्लेख करते हुए नियमानुसार रोकड़ रसीद (प्रपत्र–7) निर्गत किया जायेगा।

6. मण्डी परिसरों में कय विकय के लिए 'कामन फेसिलिटी' के अतिरिक्त यदि अन्य कोई सुविधा यथा–कोल्ड स्टोरेज/कोल्ड रूम, शार्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भण्डारण आदि का लाभ लेने की दशा में मण्डी समिति द्वारा अलग से इस हेतु समय–समय पर निर्धारित शुल्क देय होगा।

7. <u>यूजर चार्ज की वसूली:–</u>

**क–** मण्डी समिति के लाईसेन्सी पंजीकृत व्यापारी यूजर चार्ज अधिकतम 15 दिनों में मण्डी समिति में जमा करायेगें, अन्यथा की स्थिति में देयताओं पर निर्धारित प्रक्रियानुसार ब्याज की गणना करते हुए मण्डी समिति द्वारा वसूल किया जाएगा।

**ख–** गैर लाईसेन्सी पंजीकृत व्यापारी विक्रित उत्पाद के मण्डी स्थल से निर्गमन से पूर्व ही यूजर चार्ज जमा करायेगें तथा मण्डी समिति निर्गमन से पूर्व ही वसूलना सुनिश्चित करेगी।

8. गैर अधिसूचित कृषि उत्पादों फल–सब्जी का व्यापार करने वाले व्यापारियों द्वारा देय यूजर चार्जेज (प्रयोक्ता प्रभार) समय से जमा न करने की दशा में उसकी वसूली मण्डी अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत की जायेगी।

9. <u>यूजर चार्ज पंजीकरण:–</u>

**क–** इच्छुक समस्त व्यापारी गैर अधिसूचित कृषि उत्पादों के व्यापार हेतु मण्डी यार्ड के प्रयोग के लिए यूजर चार्ज पंजीकरण आनलाइन करायेगें, जो कि 01 वर्ष के लिए वैध होगा। **(आवेदन का प्रारूप संलग्नक–3)**

**ख–** मण्डी परिसर में गैर अधिसूचित कृषि उत्पादों फल–सब्जी आदि का व्यापार करने वाले व्यापारी मण्डी समिति से पंजीकरण कराकर पर्जीकरण पत्र प्राप्त करके ही व्यापार कर सकेंगे। उक्त हेतु उन्हें यूजर चार्ज पंजीकरण संख्या प्रदान किया जाएगा।

**ग–** जो व्यापारी मण्डी समिति के लाईसेन्सी होगें उन सभी को मण्डी समिति द्वारा आटो जनरेटेड यूजर चार्ज रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रदान किया जाएगा।

10. मण्डी परिसर में गैर अधिसूचित कृषि उत्पादों का व्यापार करने वाले समस्त व्यापारियों द्वारा मण्डी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों का पालन किया जायेगा।

11. भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–12/2017–सेन्ट्रल टैक्स (रेट) नई दिल्ली, दिनांक 28 जून, 2017 के प्राविधान (54 जी) **(संलग्नक–4)** के अधीन इस यूजर चार्जेज पर जी0एस0टी0 देय नहीं होगा।

उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत यूजर चार्जेज के वसूली हेतु सभी मण्डी समितियां तत्काल प्रभाव से प्रवेश एवं निकास द्वार पर पंजीकाये रक्षित करेगीं तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं को अंकन करते हुए यूजर चार्ज वसूल करेगीं जिससे कि व्यापार बाधित न हो। पंजीकाओं की व्यवस्था के माध्यम से संचालन अधिकतम दिनांक 31 मई, 2020 तक होगी। उक्त तिथि से पूर्व सौदा/निर्गमन पर्ची व्यापारी को उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।

उपरोक्त कम में किसी प्रकार की कठिनाई/समस्या की स्थिति में परिषद मुख्यालय को तत्काल अवगत कराया जाय। तद्नुसार परिषद मुख्यालय स्तर पर यूजर चार्जेज को वसूल किये जाने की प्रकिया के निमित्त परिषद आदेश सं0– निदे0कैम्प/2020–85 दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा गठित समिति द्वारा ही कठिनाई/समस्या का निराकरण बिन्दु संदर्भित होने पर निदेशक मण्डी परिषद के अनुमोदन उपरान्त सामान्तयः 7 दिनों में कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत निर्देशों/व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

( जितेन्द्र प्रताप सिंह )
निदेशक

**पृष्ठांकन–पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपनिदेशक(प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉं, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद, मुख्यालय को मण्डी परिषद की वेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश/गार्ड फाइल हेतु।

24/5

( कुमार विनीत )
अपर निदेशक (प्रशासन)

संलग्नक-1

कृषिउत्पादन मंडी समिति **इटावा**
(गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद प्रवेश पर्ची प्रपत्र सं० ____)

मण्डी समिति प्रवेश द्वार प्रति

| | | | |
|---|---|---|---|
| पर्ची संख्या | DC/76/00034 | उत्पाद लाने वाले का नाम | संजय कुमार |
| बोरी/ गट्टा पैकेट संख्या | 22 | उत्पाद | लौकी |
| अनुमानित मात्रा (कुंतल में) | 22 | वाहन संख्या | UP32HA2343 |
| मोबाइल नंबर | 9936455450 | दिनांक तथा सम | 19-11-2018 14:56 |
| पंजीकृत व्यापारी का नाम व न. | Ramnath & Sons<br>L/2020/76/1245 | | |

प्रवेश पर्ची जारीकर्ता का नाम
हस्ताक्षर

मोबाइल न०.

कृषिउत्पादन मंडी समिति **इटावा**
(गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद प्रवेश पर्ची प्रपत्र सं० ____)

उत्पाद लाने वाले की प्रति

| | | | |
|---|---|---|---|
| पर्ची संख्या | DC/76/00034 | उत्पाद लाने वाले का नाम | संजय कुमार |
| बोरी/ गट्टा पैकेट संख्या | 22 | उत्पाद | लौकी |
| अनुमानित मात्रा (कुंतल में) | 22 | वाहन संख्या | UP32HA2343 |
| मोबाइल नंबर | 9936455450 | दिनांक तथा सम | 19-11-2018 14:56 |
| पंजीकृत व्यापारी का नाम व न. | Ramnath & Sons<br>L/2020/76/1245 | | |

प्रवेश पर्ची जारीकर्ता का नाम
हस्ताक्षर

मोबाइल न०.

कृषिउत्पादन मंडी समिति **इटावा**
(गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद प्रवेश पर्ची प्रपत्र सं० ____)

पंजीकृत व्यापारी प्रति

| | | | |
|---|---|---|---|
| पर्ची संख्या | DC/76/00034 | उत्पाद लाने वाले का नाम | संजय कुमार |
| बोरी/ गट्टा पैकेट संख्या | 22 | उत्पाद | लौकी |
| अनुमानित मात्रा (कुंतल में) | 22 | वाहन संख्या | UP32HA2343 |
| मोबाइल नंबर | 9936455450 | दिनांक तथा सम | 19-11-2018 14:56 |
| पंजीकृत व्यापारी का नाम व न. | Ramnath & Sons<br>L/2020/76/1245 | | |

प्रवेश पर्ची जारीकर्ता का नाम
हस्ताक्षर

मोबाइल न०.

([illegible] प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी

कृषिउत्पादन मंडी समिति **इटावा**
(गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद प्रवेश पर्ची प्रपत्र सं० ____)

व्यापारी द्वारा समिति को उपलब्ध करायी जाने वाली प्रति

| | | | |
|---|---|---|---|
| **पर्ची संख्या** | **DC/76/00034** | **उत्पाद लाने वाले का नाम** | संजय कुमार |
| **बोरी/ गट्टा पैकेट संख्या** | 22 | **उत्पाद** | लौकी |
| **अनुमानित मात्रा** (कुंतल में) | 22 | **वाहन संख्या** | UP32HA2343 |
| **मोबाइल नंबर** | 9936455450 | **दिनांक तथा सम□** | 19-11-2018 14:56 |
| **पंजीकृत व्यापारी का नाम व न.** | Ramnath & Sons<br>L/2020/76/1245 | | |

**प्रवेश पर्ची जारीकर्ता का नाम**

**हस्ताक्षर**

**मोबाइल न०.**

(कमता प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी

संलग्नक-2

कृषि उत्पादन मंडी समिति **सफदरगंज**
**गैर अधिसूचित जिंसों के लिए** (प्रपत्र- )
**पंजीकृत व्यापारी यूजर चार्ज /निर्गमन पत्र**

**मंडी समिति प्रति**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मंडी क्षेत्र में प्रधान स्थल /उप मंडी स्थल /विक्रय स्थल का नाम | मंडी स्थल | क्रेता का नाम (वैकल्पिक ) | | कृषि उत्पादन का नाम | |
| पंजीकृत व्यापारी का नाम ( विक्रेता) | ALI AFZAL FLOUR MILL LTD, बाराबंकी | किस्म | | तौल / मात्रा / माप(कुंतल में) | |
| पंजीकरण संख्या | 38917638/9/00654 | दर (प्रति कुंतल) | | यूजर चार्ज | |
| विक्रय का दिनांक तथा समय | 06/05/2020 | कुल मूल्य | | वाहन संख्या | |
| यूजर चार्ज भुगतान का विवरण- | 7R No.<br>धनराशि | | व्यापारी के हस्ताक्षर तथा मुहर | | |

कृषि उत्पादन मंडी समिति **सफदरगंज**
**गैर अधिसूचित जिंसों के लिए** (प्रपत्र- )
**पंजीकृत व्यापारी यूजर चार्ज /निर्गमन पत्र**

**व्यापारी प्रति**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मंडी क्षेत्र में प्रधान स्थल /उप मंडी स्थल /विक्रय स्थल का नाम | मंडी स्थल | क्रेता का नाम (वैकल्पिक ) | | कृषि उत्पादन का नाम | |
| पंजीकृत व्यापारी का नाम ( विक्रेता) | ALI AFZAL FLOUR MILL LTD, बाराबंकी | किस्म | | तौल / मात्रा / माप(कुंतल में) | |
| पंजीकरण संख्या | 38917638/9/00654 | दर (प्रति कुंतल) | | यूजर चार्ज | |
| विक्रय का दिनांक तथा समय | 06/05/2020 | कुल मूल्य | | वाहन संख्या | |
| यूजर चार्ज भुगतान का विवरण- | 7R No.<br>धनराशि | | व्यापारी के हस्ताक्षर तथा मुहर | | |

कृषि उत्पादन मंडी समिति **सफदरगंज**
**गैर अधिसूचित जिंसों के लिए** (प्रपत्र- )
**पंजीकृत व्यापारी यूजर चार्ज /निर्गमन पत्र**

**मण्डी निकास द्वार**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मंडी क्षेत्र में प्रधान स्थल /उप मंडी स्थल /विक्रय स्थल का नाम | मंडी स्थल | क्रेता का नाम (वैकल्पिक ) | | कृषि उत्पादन का नाम | |
| पंजीकृत व्यापारी का नाम ( विक्रेता) | ALI AFZAL FLOUR MILL LTD, बाराबंकी | किस्म | | तौल / मात्रा / माप(कुंतल में) | |
| पंजीकरण संख्या | 38917638/9/00654 | दर (प्रति कुंतल) | | यूजर चार्ज | |
| विक्रय का दिनांक तथा समय | 06/05/2020 | कुल मूल्य | | वाहन संख्या | |
| यूजर चार्ज भुगतान का विवरण- | 7R No.<br>धनराशि | | व्यापारी के हस्ताक्षर तथा मुहर | | |

(कामता प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी

कृषि उत्पादन मंडी समिति **सफदरगंज**

**निर्गमनकर्ता/वाहन प्रति**

**गैर अधिसूचित जिंसों के लिए** (प्रपत्र- )

**पंजीकृत व्यापारी यूजर चार्ज /निर्गमन पत्र**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मंडी क्षेत्र में प्रधान स्थल /उप मंडी स्थल /विक्रय स्थल का नाम | मंडी स्थल | क्रेता का नाम (वैकल्पिक ) | | कृषि उत्पादन का नाम | |
| पंजीकृत व्यापारी का नाम ( विक्रेता) | ALI AFZAL FLOUR MILL LTD, बाराबंकी | किस्म | | तौल / मात्रा / माप(कुंतल में) | |
| **पंजीकरण संख्या** | 38917638/9/00654 | दर (प्रति कुंतल) | | यूजर चार्ज | |
| विक्रय का दिनांक तथा समय | 06/05/2020 | कुल मूल्य | | वाहन संख्या | |
| यूजर चार्ज भुगतान का विवरण- | 7R No.<br>धनराशि | | व्यापारी के हस्ताक्षर तथा मुहर | | |

(कामता प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी

संलग्नक-3

# गैर अधिसूचित कृषि उत्पादों (जिन पर मण्डी शुल्क व विकास सेस देय नहीं है) के मण्डी स्थलों में व्यापार की दशा में क्रेता व्यापारी द्वारा

## पंजीकरण हेतु आवेदन

फोटोग्राफ

**1-** व्यापारी का नाम :–

**2-** व्यापारी के पिता का नाम :–

**3-** व्यापारी का स्थाई पता :–

**4-** व्यापारी का मोबाइल नम्बर :–

**5-** व्यापारी का पैनकार्ड नम्बर :–

**6-** व्यापारी का आधार नम्बर (वैकल्पिक) :–

**7-** जनपद :

**8-** मण्डी समिति का नाम :–

**9-** यदि मण्डी समिति लाईसेन्सी है तो लाईसेन्स संख्या–

( हस्ताक्षर )

(कामता प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी

संलग्नक-4

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

**Notification No. 12/2017- Central Tax (Rate)**

New Delhi, the 28th June, 2017

G.S.R......(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of services of description as specified in column (3) of the Table below from so much of the central tax leviable thereon under sub-section (1) of section 9 of the said Act, as is in excess of the said tax calculated at the rate as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, unless specified otherwise, subject to the relevant conditions as specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:-

**Table**

| Sl. No. | Chapter, Section, Heading, Group or Service Code (Tariff) | Description of Services | Rate (per cent.) | Condition |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Chapter 99 | Services by an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) by way of charitable activities. | Nil | Nil |
| 2 | Chapter 99 | Services by way of transfer of a going concern, as a whole or an independent part thereof. | Nil | Nil |
| 3 | Chapter 99 | Pure services (excluding works contract service or other composite supplies involving supply of any goods) provided to the Central Government, State Government or Union territory or local authority or a Governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution or in | Nil | Nil |



(कामता प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entrepreneurship Development Board of the Department of Science and Technology, Government of India or bio-incubators recognised by the Biotechnology Industry Research Assistance Council, under the Department of Biotechnology, Government of India. | | |
| 49 | Heading 9984 | Services by way of collecting or providing news by an independent journalist, Press Trust of India or United News of India. | Nil | Nil |
| 50 | Heading 9984 | Services of public libraries by way of lending of books, publications or any other knowledge-enhancing content or material. | Nil | Nil |
| 51 | Heading 9984 | Services provided by the Goods and Services Tax Network to the Central Government or State Governments or Union territories for implementation of Goods and Services Tax. | Nil | Nil |
| 52 | Heading 9985 | Services by an organiser to any person in respect of a business exhibition held outside India. | Nil | Nil |
| 53 | Heading 9985 | Services by way of sponsorship of sporting events organised -<br>(a) by a national sports federation, or its affiliated federations, where the participating teams or individuals represent any district, State, zone or Country;<br>(b) by Association of Indian Universities, Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India or Special Olympics Bharat;<br>(c) by the Central Civil Services Cultural and Sports Board;<br>(d) as part of national games, by the Indian Olympic Association; or<br>(e) under the Panchayat Yuva Kreeda Aur Khel Abhiyaan Scheme, | Nil | Nil |
| 54 | Heading 9986 | Services relating to cultivation of plants | Nil | Nil |



(कामता प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce by way of—<br>(a) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing;<br>(b) supply of farm labour;<br>(c) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market;<br>(d) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use;<br>(e) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce;<br>(f) agricultural extension services;<br>(g) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce. | | |
| 55 | Heading 9986 | Carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce. | Nil | Nil |
| 56 | Heading 9988 | Services by way of slaughtering of animals. | Nil | Nil |
| 57 | Heading 9988<br><br>or<br>any other | Services by way of pre-conditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labelling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential | Nil | Nil |



(कामता प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी

# गैर–अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन हेतु
# स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP)
## (व्यापारियों के लिए)

1. मण्डी समितियों के लाईसेन्सी व्यापारियों को मण्डी समिति द्वारा यूजर चार्ज पंजीकरण संख्या जनरेट कर उपलब्ध करायी जाएगी। चूंकि इनकी सूचना पूर्व से ही मण्डी समिति के पास रहती है अतः इन्हें पृथक से सूचनाए देने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डी समिति के लाईसेन्सी व्यापारियों को मण्डी समिति द्वारा सौदा पर्ची/निर्गमन पर्ची उपलब्ध करायी जाएगी।
2. यदि गैर लाईसेन्सी व्यापारी गैर अधिसूचित कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए मण्डी यार्ड का प्रयोग करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें यूजर चार्ज पंजीकरण कराना होगा। गैर लाईसेन्सी व्यापारियों को भी मण्डी समिति द्वारा सौदा पर्ची/निर्गमन पर्ची उपलब्ध करायी जाएगी।
3. सौदा पर्ची/निर्गमन पर्ची एक बन्च में 50 की संख्या में होगें, जिसे मण्डी समिति द्वारा व्यापारियों को सशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
4. सौदा पर्ची/निर्गमन पर्ची में व्यापारी द्वारा किये गये व्यापार का विवरण यथा कृषि उत्पाद का नाम, मात्रा, दर तथा देय यूजर चार्ज का विवरण होगा। व्यापारी द्वारा एक प्रति अपने उपयोगार्थ रखते हुए दूसरी प्रति मण्डी समिति को उपलब्ध करायी जाएगी तथा शेष दो प्रतियां निर्गमनकर्ता को दी जाएगी जिसमें से एक प्रति उत्पाद निर्गमन के समय निर्गमनकर्ता द्वारा मण्डी गेट पर जमा करायी जाएगी।
5. प्रत्येक निर्गमन पर मण्डी समिति यूजर चार्ज देयता का निर्धारण लाईसेन्सी व्यापारी पर करेगी तथा अधिकतम 15 दिवस में लाईसेन्सी से जमा करायेगी।
6. मण्डी समिति द्वारा प्राप्त निर्गमन पर्चियों के आधार पर यूजर चार्ज कलेक्शन रजिस्टर मेन्टेन किया जाएगा तथा प्रत्येक दिवस की निर्गमन को 24 घण्टे में अद्यतन किया जाएगा।
7. मण्डी समिति द्वारा व्यापारी को व्यापार हेतु उपलब्ध कराये गये निर्गमन पर्ची तथा व्यापारी द्वारा व्यापार करने के बाद जमा कराये गये निर्गमन पर्ची का रिकैन्सीलेशन मेन्टेन किया जाएगा तथा व्यापारी को दूबारा निर्गमन पर्ची निर्गत करने से पहले मण्डी समिति द्वारा पूर्व में जारी किये गये निर्गमन पर्चियों का रिकैन्सीलेशन सुनिश्चित करेगी।

(कामता प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी

# गैर–अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन हेतु
# स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर (SOP)
## (मण्डी समिति के लिए)

1. मण्डी समिति गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद की आवक पर प्रवेश पर्ची जारी करेगी। यह प्रवेश पर्ची 04 प्रतियों में होगी।

2. एक प्रति मण्डी समिति द्वारा रख कर बाकी तीन प्रतियां आवक लाने वाले की को दी जाएगी। आवक लाने वाला मण्डी के अन्दर जा कर व्यापारी को अपना उत्पाद बेच कर दो प्रति उसी व्यापारी को देगा व एक प्रति अपने पास ही रखेगा। व्यापारी प्राप्त दो पर्चियों में से एक पर्ची मण्डी समिति को उपलब्ध करायेगा। इस प्रकार मण्डी समिति के पास प्रवेश द्वार से तथा व्यापारी के माध्यम से पर्चियों प्राप्त होगी जिसके आधार पर मण्डी समिति गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद की आवक पंजिका मेण्टेन करेगी।

3. मण्डी समिति द्वारा उक्त प्रवेश पर्चियों के आधार पर गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद के आवक का दैनिक रजिस्टर बनाया जाएगा।

4. मण्डी समिति द्वार गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद के व्यापार हेतु मण्डी स्थल के उपयोग के लिए व्यापारियों का पंजीकरण निःशुल्क किया जाएगा। यद्यपि की यह प्रकिया आनलाइन होगी तथापि मण्डी समितियों द्वारा पंजीकृत व्यापारियों को लेखा–जोखा (पंजीकरण रजिस्टर) अनुरक्षित किया जाएगा।

5. मण्डी समिति द्वारा समस्त पंजीकृत व्यापारियों को सौदा/निर्गमन पर्ची उपलब्ध करायी जाएगी। सौदा पर्ची/निर्गमन पर्ची एक बन्च में 50 की संख्या में होगें, जिसे मण्डी समिति द्वारा व्यापारियों को सशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

6. केता/व्यापारी द्वारा गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के निर्गमन हेतु सौदा पर्ची/निर्गमन पर्ची उपयोग में लायी जायेगी। सौदा पर्ची/निर्गमन पर्ची भी चार प्रतियों में होगी। व्यापारी द्वारा एक प्रति अपने उपयोगार्थ रखते हुए दूसरी प्रति मण्डी समिति को उपलब्ध करायी जाएगी तथा शेष दो प्रतियां निर्गमनकर्ता को दी जाएगी जिसमें से एक प्रति उत्पाद निर्गमन के समय निर्गमनकर्ता द्वारा मण्डी गेट पर जमा करायी जाएगी। इस प्रकार मण्डी समिति को दो माध्यमों से सौदा/निर्गमन पर्ची की प्रति प्राप्त होगी। प्रथम निकास द्वार से प्राप्त प्रति तथा दूसरी व्यापारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रति। इन दोनों प्रतियों के आधार पर मण्डी समिति द्वारा यूजर चार्ज की वसूली का रजिस्टर मेण्टेन किया जाएगा, जिसमें व्यापारी का रजिस्ट्रेशन संख्या, उत्पाद की मात्रा, विकय दर, कुल मूल्य तथा देय यूजर चार्ज एवं उसके सापेक्ष वसूली का विवरण का अंकन किया जाएगा।

(कामता प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी

7. निर्गमन पर्ची पर कृषि उत्पाद, दर, तौल, व्यापारी का नाम इत्यादि विवरण होगें जो व्यापारी द्वारा दर्ज किये जाएगें। इसका परीक्षण समिति द्वारा करते हुए देय यूजर चार्ज का निर्धारण किया जाएगा तथा गैर लाईसेन्सी व्यापारियों से गेट पर ही इसे वसूलते हुए प्रपत्र 7 जारी किया जाएगा। लाईसेन्सी व्यापारियों की दशा में उनकी देयता रजिस्टर पर इसका अंकन कराया जाएगा तथा 15 दिवस के अन्दर इसे वसूला जाएगा।

8. मण्डी समितियों द्वारा सभी पंजीकृत व्यापारियों का विवरण मेन्टेन किया जाएगा तथा यह भी चेक किया जाएगा कि कौन से व्यापारी कितनी निर्गमन पर्ची जारी कर चुके हैं एंव उसके सापेक्ष कितनी पर्चियां वापस प्राप्त हो चुकी हैं।

9. मण्डी समिति द्वारा गेट पर प्रवेश पर्ची जारी करने एवं निर्गमन पर्ची प्राप्त करने तथा यूजर चार्ज जमा करने एवं 7 आर जारी करने की व्यवस्था गेट पर ही करनी होगी।

(कामता प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी